—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 64/2022

उनवान

सोभाग पुत्र उगमा जाति भांबी (बलाई) निवासी ग्राम धोलादांता देराठू (मंगरी), नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. भूरी पुत्री छोगा पत्नि राधाकिशन जाति भांबी (बलाई) निवासी धोलादांता देराठू हाल निवासी सोकलिया तहसील सरवाड जिला अजमेर,
2. छोगा पुत्र सेवा ,
3. भागचन्द पुत्र उगमा दत्तक पुत्र छोगा,
4. काली पत्नि बोदूराम,
5. गुमानदेवी पुत्री बोदूराम,
6. गोपाल पुत्र बोदूराम,
7. गोविन्दनारायण पुत्र बोदूराम,
8. सतु पुत्री बोदूराम,
9. विष्णु रिद्धकरण समस्त जातिगण भांबी (बलाई) निवासी धोलादांता देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ,
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
2 व 3 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
10 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 12.5.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता देराठू में प्रार्थी की पुश्तेनी खातेदारी आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख. न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
837	3—4—0	723	3—4—0	685	0.30
				686	0.23
				687	0.13
				688	0.13
				689	0.10
				703	0.26
843	2—18—0	735	1—9	697	0.23
		736	1—9	696	0.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:12:57 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपरोक्त आराजी साबिक राजस्व अभिलेख चौसाला जमाबंदी में खातेदार उगमा पुत्र उंकार, पांचू पुत्र सेवा, गोगा पुत्र हीरा, व नाथू पुत्र हीरा के नाम दर्ज थी। हीरा के 4 लड़के क्रमशः उंकार, सेवा, नाथू व गोगा हुये। जिनका प्रत्येक का 1/4 हिस्सा आराजी मुतनाजा में निहित था। जिनमें से उंकार, नाथू व गोगा नाऔजाद फौत हो गये है। सेवा के वारिस 3 लडके पांचू, उगमा व छोगा हुये जिनमें से पांचू की नाऔलाद मृत्यु हो गयी हैं। अतः आराजी मुतनाजा पर उगमा पुत्र सेवा का 1/2 हिस्सा है। उगमा के 4 वारिस क्रमशः बोदू, भागचन्द, रिद्वकरण व साोभाग हैं। छोगा के कोई पुत्र नही है उसके मात्र पुत्री भूरी है जो प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 है। छोगा अप्रार्थी संख्या 2 ने भागचद अप्रार्थी संख्या 3 को गोद लिया है अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 से 9 का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से पांचू पुत्र सेवा व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ही दर्ज कर दी गयी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 से 9 का उक्त आराजी पर नाम दर्ज नही किया गया। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे हे तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है।

अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन मात्र भूमि को हडपने के लिये किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 से 5 ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया। राज. पैरोकार ने प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :-

प्रार्थीगण का कथन हे कि आराजी मुतनाजा उसकी पुश्तैनी खातेदारी की है जिसका हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है। किन्तु प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 837 सिवायचक खातें में दर्ज है। वंकिग खसरा नम्बर 723 पांचू, छोगा पि. सेवा के नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है। वंर्किगग खसरा नम्बर 735 व 736 अकेले छोगा पुत्र सेवा के नाम दर्ज है। इस प्रकार वंर्किग जमाबंदी में ही उक्त आराजी प्रार्थी व अन्य अप्रार्थी के नाम दर्ज नही थी। उसी के अनुरूप हाल राजस्व अभिलेख में भूमि छोगा व भूरी के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का विस्तृत विवेचन मूल वाद में साक्ष्य से ही संभव होगा। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि बिना विषम परिस्थितियों के रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। उक्त आराजी साबिक राजस्व अभिलेख में भी से प्रार्थी के नाम दर्ज नही है। भूमि के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही किये जा सकते है। प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :- विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत [illegible] आराजी मुतनाजा हाल व पूर्व राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी [illegible] दर्ज है। भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:12:57 IST
Reason: SelfAttested

---3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम धोलादांता देराठू की उक्त आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:12:57 IST
Reason: SelfAttested